न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 53/2023
प्रकरण दायर दिनांक 26.07.2023
प्रकरण निर्णय दिनांक 23.10.2023

उनवान

1. रामवतार पुत्र किशोरीलाल
2. गुलाब देवी पत्नी रामवतार
3. किशोरीलाल पुत्र किशनलाल
4. सोहनलाल पुत्र किशोरीलाल
5. सुरेश कुमार पुत्र किशोरीलाल
6. रोशन पत्नी राजेश
7. अंजली पुत्री राजेश
8. कपील पुत्र राजेश
9. जीया पुत्री राजेश
10. राहुल पुत्र राजेश

(8–10) नाबालिक जरिये संरक्षक माता रोशन पत्नी राजेश

समस्त जातियान गुर्जर निवासी पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

<u>प्रार्थना पत्र बाबत भूमि काश्त खसरा नं. 4078/1540, 4079/1552, 4077/1540, 1542 स्थित ग्राम हरसौरा तहसील बांदीकुई का सीमांकित कर पत्थरगढी करवाये जाने बाबत</u>

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की भूमि काश्त खसरा नं. 4078/1540, 4079/1552, 4077/1540, 1542 वाके ग्राम हरसौरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसलिए प्रार्थीगण की खाम डौल धीरे धीरे बिस्मार हो रही है। प्रार्थीगण अपने काश्त की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि में पिलर गाडकर तारबंदी करना चाहते है जिससे आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा हो सके। भविष्य में कोई विरोध पैदा ना हो इसलिए अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

करवाया जाना जरूरी है, जिससे भविष्य में सीमा विवाद नहीं हो सकें। खसरा नं. 4078/1540 रकबा 1.00 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 4079/1552 रकबा 0.71 हैक्टेयर में वर्णित खातेदार लड्डो देवी पत्नी किशोरीलाल की मृत्यु हो गयी जिनके प्रार्थी संख्या 01, 04 ,05, पुत्र है एवं प्रार्थी संख्या 03 पति तथा प्रार्थी संख्या 06 पुत्रवधु है एवं प्रार्थी संख्या 07 लगायत 10 पौत्र व पौत्रिया है जो लड्डो देवी के विधिक उत्तराधिकारी वारिसान है। पड़ौसी खातेदार द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रार्थीगण की भूमि में तारबंदी हेतु पीलर गाडने में व्यवधान उत्पन्न किया गया तथा पड़ौसी खातेदार द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढी हुए बिना प्रार्थीगण की भूमि में जबरन घुसने तथा कब्जा करने की धमकी देने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि काश्त खसरा नं. 4078/1540, 4079/1552, 4077/1540, 1542 वाके ग्राम हरसौरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि का सीमांकित करवाया जाकर पत्थरगढी मुताबिक नक्शा मौका करवाये जाने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी विधिवत जर्ये सम्मन/नोटिस की गयी। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के संबंध में जवाब दिनांक 13.10.2023 प्रस्तुत किया । अप्रार्थी जबाब दिनांक 13.10.2023 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली मे वर्णित खसरा नं. 4078/1540, 4079/1552, 4077/1540, 1542 किता 04 वाके ग्राम हरसौरा तहसील बांदीकुई का सीमांकन करवाते हुए पत्थरगढी करवाये जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण बहस सुनी। हमने बहस प्रार्थीगण वकील पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र एवं जबाब पैरोकार सरकार तहसीलदार बांदीकुई दिनांक 13.10.2023 में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। वर्णित भूमि खाता संख्या नया 197 पुराना 190 खसरा नं. 1542 रकबा 1.65 हैक्टे. रामवतार पुत्र किशोरीलाल जाति गुर्जर सा. पीचूपाडा खुर्द खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नं. 4078/1540 रकबा 1.0000 व खसरा नं. 4079/1552 रकबा 0.7100 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 1.7100 हैक्टे. लड्डोदेवी पत्नि किशोरीलाल सा. पीचूपाडा खुर्द खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व खसरा नं. 4077/1540 रकबा 2.3700 हैक्टे. गुलाब देवी पत्नि रामवतार सा. पीचूपाडा खुर्द खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थी को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। जबाब पैरोकार सरकार तहसीलदार बांदीकुई दिनांक 13.10.2023 द्वारा पत्रावली में वर्णित खसरा नं. 4078/1540, 4079/1552, 4077/1540, 1542 किता 04 वाके ग्राम हरसौरा तहसील बांदीकुई का सीमांकन करवाते हुए पत्थरगढी करवाये जाना उचित बताया है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हरसौरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि खाता संख्या नया 197 पुराना 190 खसरा नं. 1542 रकबा 1.65 हैक्टे. रामवतार पुत्र किशोरीलाल जाति गुर्जर सा. पीचूपाडा खुर्द खातेदार तथा खाता संख्या नया 208 व पुराना 201 के खसरा नं. 4078/1540 रकबा 1.0000 हैक्टे.

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

व खसरा नं. 4079/1552 रकबा 0.7100 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 1.7100 हैक्टे. लड्डोदेवी पत्नि किशोरीलाल सा. पीचूपाडा खुर्द खातेदार व खाता संख्या नया 47 व पुराना 51 के खसरा नं. 4077/1540 रकबा 2.3700 हैक्टे. गुलाब देवी पत्नि रामवतार जाति गुर्जर सा. पीचूपाडा खुर्द खातेदार के नाम दर्ज राजस्व जमाबंदी रिकॉर्ड है का विधिवत सीमाज्ञान किया जाकर तदुपरांत सीमाज्ञान अनुसार मौके पर निशानात कायम कर मौके पर पत्थरगढी व तारबंदी नियमानुसार किया जावें। तहसीलदार बांदीकुई मौके पर विधिवत निशानात कायम करा कर पत्थरगढी करावें व मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखे। साथ ही पत्थरगढी के वक्त आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी कोलवा से प्राप्त करें। थानाधिकारी कोलवा वांछित पुलिस जाप्ता मौके पर उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई/थानाधिकारी कोलवा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
बांदीकुई (दौसा)

है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश है।

Scanned with CamScanner